भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 13

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

तेलंगाना में हल्दी बोर्ड

*13 **श्री बी.पार्थ सारधी रेड्डी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक उद्योग को सहायता प्रदान करने और उसे बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की स्थापना करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में उत्पादित हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"तेलंगाना में हल्दी बोर्ड" के संबंध में दिनांक 02 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ख): यह मानते हुए कि भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है, सरकार ने दिनांक 04.10.2023 की अधिसूचना के माध्यम से 'राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड' की स्थापना को अधिसूचित किया है। उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जिनका लक्ष्य तेलंगाना सहित देश में हल्दी क्षेत्र का संवर्धन और विकास करना है।

(ग) : मसाला बोर्ड की योजना अर्थात 'मसालों में निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता सुधार तथा इलायची का अनुसंधान एवं विकास एकीकृत योजना' के निर्यात विकास और संवर्धन (ईडीपी) घटक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्दी सहित मसालों का संवर्धन करना है। इस घटक के तहत, मसाला बोर्ड द्वारा निर्यातकों को अवसंरचना विकास, मूल्यवर्धन तथा व्यापार संवर्धन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, मसाला बोर्ड द्वारा हल्दी उद्योग की सहायता के लिए विभिन्न अन्य उपाय किए गए हैं जैसे कि मसालों (हल्दी सहित) का प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन और भंडारण करने के लिए मसाला पार्कों की स्थापना करना, गुणवत्ता सुधार और उद्यमिता विकास के उद्देश्य से हल्दी के हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना; आयातक देशों के गुणवत्ता विनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के माध्यम से हल्दी की निर्यात खेपों का गुणवत्ता मूल्यांकन करना और किसानों/किसान समूहों, निर्यातकों/प्रोसेसरों और अंतर्राष्ट्रीय विक्रेताओं के बीच सीधा बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) का आयोजन करना।

बोर्ड पोषाहार/न्यूट्रास्यूटिकल/प्रसाधन सामग्री/औषधीय एवं आंतरिक गुणों के वैज्ञानिक विधिमान्यकरण और नए अनुप्रयोगों के विकास के लिए हल्दी सहित मसालों पर अनुसंधान करने के लिए अपेक्षित सुविधाओं वाले पंजीकृत निर्यातकों/अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की भी सहायता कर रहा है।
